**पटना में दिनांक–20 मई, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।**

**निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–**

**उद्योग विभाग**

1. मेसर्स पटेल वेयरहाउसिंग प्रा०लि०, अरावन, बेन, नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम(2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

**उद्योग विभाग**

2. मेसर्स ई०एस०ई० एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, कुदरा, जिला–कैमूर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली– 2016 के नियम–7 के उप नियम(2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

**जल संसाधन विभाग**

3. गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड में आई०एम०सी०, गया के लिए जल उपलब्धता हेतु जलाशय का निर्माण सहित अन्य आवश्यक कार्य, प्राक्कलित राशि ₹428.083 करोड़ (चार सौ अट्ठाईस करोड़ आठ लाख तीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 3. **स्वीकृत।**

**पंचायती राज विभाग**

4. वित्तीय वर्ष 2026–27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant मद की राशि की विमुक्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹7,47,97,64,000.00 (सात सौ सैतालीस करोड़ संतानवे लाख चौंसठ हजार रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

**वित्त विभाग**

5. षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए विस्तारित करने के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

**विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

6. बिहार काउंसिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पूर्व से स्वीकृत कुल–94 पदों में से कुल 87 पद को प्रत्यर्पित करने एवं पदाधिकारियों/कर्मियों के कुल–53 (तिरेपन) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

## विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

7 विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल (Young Professionals) के चयन संबंधी नीति–2026 के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

## गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

8. राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती सुरक्षा को तथा आसूचना तंत्र को और विकसित किये जाने के दृष्टिकोण से विशेष शाखा के अधीन पुलिस महानिरीक्षक, बॉर्डर (IG, Border) के पदनाम से 01 (एक) नये पद के सृजन करने के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. अरवल जिलान्तर्गत अंचल–करपी, मौजा–झिकटिया, थाना सं०–227, खाता सं०–61, खेसरा सं०–51 की कुल प्रस्तावित रकवा–06.81 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भवन निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल–देव के विभिन्न मौजा, खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–13.09 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, देव के निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. सहरसा जिलान्तर्गत अंचल–सलखुआ के मौजा–कबीरा, थाना सं०–255, खाता सं०–1025, खेसरा सं०–522 कुल प्रस्तावित रकवा–06.61 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि पर मुख्यमंत्री विकास योजना अन्तर्गत आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

## सिविल विमानन विभाग

12. बिहार में नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति के तहत नए अन्तर्राष्ट्रीय गंतव्यों हेतु नॉन–स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएसन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) से गयाजी–बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम 131 (ज्ञ)(त) के तहत परिशिष्ट–16 की कंडिका–3 के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding) के रूप में अधिकतम बारह माह हेतु ₹10,40,00,000/–(दस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

## गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

13. वामपंथी उग्रवादियों का सफल निरोध एवं नियंत्रण हेतु सृजित विशेष कार्य बल (STF) में विशिष्ट दक्षता प्राप्त एवं आसूचना संग्रहण इत्यादि में कौशल तथा पूर्वानुभव के आधार पर चिन्हित 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने एवं उक्त हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को शक्ति प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**